FORM NO. III

# फर्द अहकाम

## (नियम 26)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बीनावास**

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| खुमाराम | | राजस्थान सरकार |

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या—185/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.12.2021 | प्रार्थी खुमाराम पुत्र रामूराम जाति नाई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बीनावास में धारा—88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 400/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता रामूराम पुत्र लक्ष्मणरामजी की थी। रामूराम का देहान्त 40 वर्ष पूर्व में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया। उस फौतेदगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम खुमाराम के बजाय गुमनाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम खुमाराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी खुमाराम के नाम से जारी किये हुए ह अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में गुमनाराम पुत्र रामूरामके स्थान पर खुमाराम पुत्र रामुराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।<br><br>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी खुमाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये तथा वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी खुमाराम का आधार कार्ड, स्कूल टी सी, पहचान पत्र, जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा नम्बर 400/1 ग्राम बीनावास (गुमनाराम पुत्र रामूराम) आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत बीनावास द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र [illegible] पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 जगदीश पुत्र रामूराम जाति नाई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा के बयान | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में गुमनाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम खुमाराम के बजाय गुमनाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 400/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में गुमनाराम पुत्र रामूराम के स्थान पर **खुमाराम पुत्र रामूराम** जाति नाई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी

काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बीनावास में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बीनावास

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| खुमाराम पुत्र रामूराम<br>जाति नाई निवासी बीनावास<br>तहसील बिलाड़ा | | राजस्थान सरकार<br>तहसीलदार बिलाड़ा |

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

राजस्व वाद संख्या :— 185 / 2021

**निर्णय** **दिनांक** :— 08.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 400 / 1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में गुमनाराम पुत्र रामूराम के स्थान पर **खुमाराम पुत्र रामूराम** जाति नाई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्त भूमि को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलाड़ा के रहन दर्ज करें।उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**तीज — मुबलिग बाबत् —**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.12.2021 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमि”नर | | | फीस कमि”नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested